"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/तक. 114-009/2003/20-1-03."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 197] रायपुर, बुधवार, दिनांक 26 जुलाई 2006—श्रावण 4, शक 1928

छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय

रायपुर, दिनांक 26 जुलाई, 2006 (श्रावण 4, 1928)

क्रमांक-9002/विधान/2006.—छत्तीसगढ़ विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 59 के अधीन छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक -3) विधेयक, 2006 (क्रमांक 10 सन् 2006), पुरःस्थापन के पूर्व जनसाधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है.

देवेन्द्र वर्मा
सचिव,
छत्तीसगढ़ विधान सभा.

छत्तीसगढ़ विधेयक

(क्रमांक 10 सन् 2006)

छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक 3) विधेयक, 2006

वित्तीय वर्ष 2006-2007 की सेवाओं के लिए छत्तीसगढ़ राज्य की संचित निधि में से कतिपय और राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने के लिये विधेयक.

भारत गणराज्य के सत्तावनवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधान मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम. 1. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम छत्तीसगढ़ विनियोग अधिनियम, 2006 (क्रमांक सन् 2006) है.

वित्तीय वर्ष 2006-2007 के लिये राज्य की संचित निधि में से 642,08,23,594 रुपयों का दिया जाना. 2. छत्तीसगढ़ राज्य की संचित निधि से अनुसूची के स्तम्भ (3) में विनिर्दिष्ट राशियों से अनधिक वे राशियां, जिनका कुल योग छः सौ बयालीस करोड़, आठ लाख, तेईस हजार, पांच सौ चौरानबे रुपया होता है उन विभिन्न प्रभारों को चुकाने के लिये, जो अनुसूची के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट सेवाओं के बाबत वित्तीय वर्ष 2006-2007 के दौरान दिये जाने होंगे और उपयोजित की जा सकेंगे.

विनियोग. 3. इस अधिनियम द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य की संचित निधि में से दी जाने और उपयोजित किये जाने के लिए प्राधिकृत राशियां, उक्त वर्ष के संबंध में अनुसूची में वर्णित सेवाओं और प्रयोजनों के लिए विनियोजित की जाएंगी.

अनुसूची

(धारा 2 और 3 देखिये)

अनुदान का संख्यांक (1)	सेवाएं और प्रयोजन (2)		निम्नलिखित से अनधिक राशियां (3)		
			विधान सभा द्वारा अनुदत्त	संचित निधि पर भारित	योग
			रुपये	रुपये	रुपये
01	सामान्य प्रशासन	राजस्व	2,25,17,100	11,23,000	2,36,40,100
02	सामान्य प्रशासन विभाग से संबंधित अन्य व्यय.	राजस्व	28,50,000	0	28,50,000
03	पुलिस	राजस्व	17,05,00,700	0	17,05,00,700
		पूंजी	3,50,00,000	0	3,50,00,000
04	गृह विभाग से संबंधित अन्य व्यय	राजस्व	11,53,16,094	0	11,53,16,094
05	जेल	राजस्व	6,70,32,700	0	6,70,32,700
06	वित्त विभाग से संबंधित व्यय	राजस्व	14,95,500	0	14,95,500

(1)	(2)		(3)		
			रुपये	रुपये	रुपये
07	वाणिज्यिक कर विभाग से संबंधित व्यय	राजस्व	54,99,200	0	54,99,200
		पूंजी	2,00,00,000	0	2,00,00,000
08	भू राजस्व तथा जिला प्रशासन	राजस्व	3,27,60,000	0	3,27,60,000
10	वन	राजस्व	28,65,00,000	97,00,000	29,62,00,000
12	ऊर्जा विभाग से संबंधित व्यय	राजस्व	20,60,00,100	0	20,60,00,100
		पूंजी	5,02,50,000	0	5,02,50,000
13	कृषि	राजस्व	4,09,00,100	0	4,09,00,100
14	पशुपालन विभाग से संबंधित व्यय	राजस्व	2,38,35,100	0	2,38,35,100
15	अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजनान्तर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता.	पूंजी	1,00,00,000	0	1,00,00,000
17	सहकारिता	पूंजी	22,24,00,000	0	22,24,00,000
18	श्रम	राजस्व	36,47,200	0	36,47,200
19	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	राजस्व	55,76,200	0	55,76,200
20	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	राजस्व	1,17,33,000	40,02,000	1,57,35,000
		पूंजी	1,13,00,000	0	1,13,00,000
23	जल संसाधन विभाग	राजस्व	94,25,100	0	94,25,100
		पूंजी	1,00,100	0	1,00,100
24	लोक निर्माण कार्य-सड़कें और पुल	पूंजी	22,00,200	0	22,00,200
25	खनिज साधन विभाग से संबंधित व्यय	राजस्व	52,79,000	0	52,79,000
26	संस्कृति विभाग से संबंधित व्यय	राजस्व	1,57,00,000	0	1,57,00,000
27	स्कूल शिक्षा	राजस्व	20,86,86,300	0	20,86,86,300
		पूंजी	100	0	100
28	राज्य विधान मंडल	राजस्व	2,48,000	10,00,000	12,48,000
29	न्याय प्रशासन एवं निर्वाचन	राजस्व	2,99,50,100	6,50,000	3,06,00,100
		पूंजी	4,50,00,000	0	4,50,00,000

(1)	(2)		(3)		
			रुपये	रुपये	रुपये
30	पंचायत तथा ग्रामीण विकास विभाग से संबंधित व्यय.	राजस्व	100	0	100
33	आदिमजाति कल्याण	राजस्व	100	64,000	64,100
34	समाज कल्याण	राजस्व	700	0	700
36	परिवहन	राजस्व	100	0	100
38	बारहवें वित्त आयोग की अनुशंसा पर प्राप्त होने वाला सहायता अनुदान.	राजस्व	8,65,36,300	0	8,65,36,300
		पूंजी	6,54,12,100	0	6,54,12,100
39	खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग से संबंधित व्यय.	राजस्व	4,00,100	0	4,00,100
		पूंजी	2,00,00,00,000	0	2,00,00,00,000
41	आदिवासी क्षेत्र उपयोजना	राजस्व	32,34,38,000	0	32,34,38,000
		पूंजी	23,94,11,600	0	23,94,11,600
42	आदिवासी क्षेत्र उपयोजना से संबंधित लोक निर्माण कार्य-सड़कें और पुल.	पूंजी	100	0	100
44	उच्च शिक्षा	राजस्व	2,58,00,100	0	2,58,00,100
45	लघु सिंचाई निर्माण कार्य	राजस्व	1,16,50,000	0	1,16,50,000
47	तकनीकी शिक्षा और जन शक्ति नियोजन विभाग.	राजस्व	1,72,79,200	0	1,72,79,200
		पूंजी	3,28,20,100	0	3,28,20,100
51	धार्मिक न्यास और धर्मस्व	राजस्व	51,79,000	0	51,79,000
55	महिला एवं बाल कल्याण से संबंधित व्यय.	राजस्व	60,00,200	0	60,00,200
56	ग्रामोद्योग	राजस्व	1,10,05,100	0	1,10,05,100
57	जल संसाधन विभाग से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनायें.	पूंजी	3,00,400	0	3,00,400
64	अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना.	राजस्व	41,49,04,000	0	41,49,04,000
		पूंजी	200	0	200

(1)	(2)		(3)		
			रुपये	रुपये	रुपये
66	पिछड़ा वर्ग कल्याण	राजस्व	100	0	100
67	लोक निर्माण कार्य-भवन	राजस्व	1,60,42,000	0	1,60,42,000
		पूंजी	22,47,04,000	0	22,47,04,000
68	आदिवासी क्षेत्र उपयोजना से संबंधित लोक निर्माण कार्य-भवन.	राजस्व	5,00,000	0	5,00,000
		पूंजी	3,12,90,000	0	3,12,90,000
69	नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग-नगरीय कल्याण.	राजस्व	1,87,35,000	0	1,87,35,000
		पूंजी	1,01,15,000	0	1,01,15,000
79	चिकित्सा शिक्षा विभाग से संबंधित व्यय	राजस्व	1,19,31,300	0	1,19,31,300
80	त्रिस्तरीय पंचायतीराज संस्थाओं को वित्तीय सहायता.	राजस्व	8,12,27,200	0	8,12,27,200
		पूंजी	3,00,00,000	0	3,00,00,000
81	नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता	राजस्व	1,00,79,00,200	0	1,00,79,00,200
82	आदिवासी क्षेत्र उपयोजना के अंतर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता.	राजस्व	400	0	400
		पूंजी	7,00,00,000	0	7,00,00,000
	योग	**राजस्व**	**3,30,39,80,694**	**1,65,39,000**	**3,32,05,19,694**
		पूंजी	**3,10,03,03,900**	**0**	**3,10,03,03,900**
	वृहद योग		**6,40,42,84,594**	**1,65,39,000**	**6,42,08,23,594**

उद्देश्यों और कारणों का कथन

यह विधेयक भारत के संविधान के अनुच्छेद 205 के साथ पठित उसके अनुच्छेद 204 (1) के अनुसरण में छत्तीसगढ़ राज्य की संचित निधि में से उस धन के विनियोग का उपबंध करने हेतु पुरःस्थापित किया जा रहा है जो वित्तीय वर्ष 2006-2007 के लिए छत्तीसगढ़ राज्य की संचित निधि पर अनुपूरक भारित व्यय और छत्तीसगढ़ सरकार के व्यय के लिये विधान सभा द्वारा किए गए अनुदानों की पूर्ति करने के लिए अपेक्षित है.

2. अत: यह विधेयक प्रस्तुत है.

रायपुर
तारीख 18 जुलाई, 2006

अमर अग्रवाल
वित्त मंत्री
(भारसाधक सदस्य)

"संविधान के अनुच्छेद 207 के अधीन राज्यपाल द्वारा अनुशंसित"

देवेन्द्र वर्मा
सचिव,
छत्तीसगढ़ विधान सभा.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2006.